05.10.17

आरोपी गजेन्द्र सिंह वैश्य सहित अधिवक्ता श्री एस०एस० तोमर उपस्थित।

आरोपी अधिवक्ता द्वारा आज अर्थदण्ड की राशि जमा करने हेतु निवेदन किया। प्रकरण आज पेशी में लिया गया। प्रकरण में अर्थदण्ड की राशि रुपए 10000/— रशीद क्रमांक 71 पर जमा की गयी। रशीद आरोपी को दी गयी।

प्रकरण अन्य कोई कार्यवाही होना शेष नहीं। अतः प्रकरण का सार अंकित पंजी कर प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो।

> वीरेन्द्र सिंह राजपूत विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद—भिण्ड म0प्र0